माननीय न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और माननीय न्यायाधीश के. कन्नन के समक्ष

राम चंदर शर्मा - याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2008 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9126
1 दिसंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप- स्थानांतरण- उसे चुनौती- प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण का आदेश, ना की सजा के तौर पर नहीं-याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित, कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। जब इतने गंभीर आरोप हों तो तबादले के लिए इससे बेहतर प्रशासनिक आधार नहीं हो सकता। गांव के लोगों ने शिकायत की भी है। शिक्षक न केवल पढ़ाने के लिए होता हैं, बल्कि छात्रों के लिए आदर्श भी होता हैं।

(पैरा 6)

सुश्री अलका चतरथ, याचिकाकर्ता की वकील।
हरीश राठी, सीनियर डी.ए.जी. हरयाणा।

मेहताब एस. गिल, न्यायाधीश

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 30 अप्रैल, 2008 के आदेश और जिसको 6 मई, 2008 को पृष्ठांकित किया गया है (अनुलग्नक पी-6), और इन को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी रिट जारी करने की प्रार्थना की है ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा की गई झूठी शिकायत पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सलेलपुर जिला यमुनानगर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोट कलसिया जिला यमुनानगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसा सज़ा के तौर पर किया गया है क्यूँकि न तो कोई जांच हुई और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई मौका दिया गया।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया था। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें, इन ग्रामों की ग्राम पंचायत ग्राम सलेलपुर जिला यमुनानगर, झंडा जिला यमुनानगर, महमदपुर जिला यमुनानगर, पीर भोली जिला यमुनानगर और ब्लॉक समिति साढौरा जिला यमुनानगर के द्वारा की गई थीं।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तों को सुना है और रिट याचिका और उससे जुड़े अनुबंधों का अवलोकन किया है।

5. ग्राम सलेलपुर, जिला यमुनानगर के निवासियों ने मुख्यमंत्री, हरियाणा (अनुलग्नक-4) को की गई शिकायत में कहा है कि याचिकाकर्ता ने ग्रामीणों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार

किया। याचिकाकर्ता ने स्कूल परिसर में धूम्रपान किया जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, वह स्कूल परिसर में एक कमरे में रह रहा है जो छात्रों के लिए है। ग्राम महमदपुर जिला यमुनानगर की ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समिति, साढौरा जिला यमुनानगर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रस्ताव (अनुलग्नक पी-6) पारित किया है, जिसमें उसके अनुशासनहीन होने, स्कूल के समय के दौरान स्कूल परिसर में धूम्रपान करने और नशीले पदार्थों का सेवन करने के संबंध में भी कहा गया है।

6. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। जब इतने गंभीर आरोप हों तो तबादले के लिए इससे बेहतर प्रशासनिक आधार नहीं हो सकता। गांव के लोगों ने शिकायत की है। शिक्षक न केवल पढ़ाने के लिए होता हैं, बल्कि छात्रों के लिए आदर्श भी होता हैं।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया हैं, वह हैं, **भुल्लर और अन्य बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य**[1], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की यदि स्थानांतरण सार्वजनिक हित में प्रशासनिक आधार पर किया जाता है तो अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि स्थानांतरण नियमित तरीके से नहीं बल्कि संपार्श्विक उद्देश्य और सजा के रूप में किया जाता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उद्धृत निर्णय उसके वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। जैसा कि उपरोक्त तर्क दिया है, याचिकाकर्ता की ओर से बहुत गंभीर चूक के कारण प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया है।

8. 2006 की सी.डब्लू.पी. संख्या 7425 में भी यही स्थिति है, जो कि हैं, कुलदीप शर्मा बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, दिनांकित 10 अगस्त, 2006, का निर्णय भी मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

9. याचिका योग्यता से रहित है।

10. बर्खास्त।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़

[1]1991 (एल)एस.एल.आर. 378